

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-224/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० प्रियंका कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 17.10.2025 से 14.04.2026 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-224/2025-

2007(2) पटना, दिनांक 14/8 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-रा०-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा, प्रशाखा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/8/2026
सरकार के अवर सचिव